

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

अंसारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दीपु कुमार पिता- अधिक महतो ग्राम- राजेश नगर पो0- मालपुर थाना- मरांची जिला- पटना यूएचआईडी न0- 108225057	कैंसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	सविता देवी पति- नबल किसोर साह ग्राम+पो0- गणेशपुर थाना- के नगर जिला- पूर्णियाँ यूएचआईडी न0- 106722246	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
3	अमरजीत कुमार पिता- दसोगी यादव ग्राम- जानकीडीह बेलडरिया पो0- जानकीडीह थाना- बन्नूबगीचा जिला- लखीसराय यूएचआईडी न0- 20130252490	स्पाइनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
4	कृदन कुमार पिता- अनिल सिंह ग्राम+पो0- करजान थाना- अथमलगोला जिला- पटना यूएचआईडी न0- 104011798	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	6,00,000	छः लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	प्रियेश कुमार सिंह पिता- सुनील कुमार ग्राम- रानी पकडी पो0- पिपरा पकडी थाना- मुफस्सिल जिला- पश्चिम चम्पारण यूएचआईडी न0- 108373977	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			16,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 16,80,000/- (सोलह लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10874588593, खाता धारक का नाम- AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाज

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2352(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

असारीनगर, नई दिल्ली-110029।

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुमन गुप्ता पिता- श्रवण कुमार ग्राम- माडपो पो- लालपुर थाना- कौवाकोल जिला- नवादा यूएचआईडी न0- 108240054	हृदय रोग टीओएफ	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196977 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-10874584258, खाता धारक का नाम-AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड स0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक

ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2353(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-01 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रवि रजन रवि पिता— राज नारायण गुप्ता ग्राम+पो0— बनैनिया थाना— भपटियाही जिला— सुपौल यूएचआईडी नं0— 107649751	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0— CA 10874584292, खाता धारक का नाम— DR. BRAIRCH PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2354(14)

पटना, दिनांक 21/8/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196774 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14 / एम 11-01 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक... ..

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मीरज कुमार राय पिता- बीरेंद्र राय ग्राम+पो0- सिकटी भीखम थाना- मशरक जिला- सारण यूएचआईडी न0- 103977234	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	6,00,000	छः लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	मदन प्रसाद सिंह पिता- स्व० राम बहादुर सिंह ग्राम- गुना छपरा पो0- पुरैना थाना- अमनौर जिला- सारण यूएचआईडी न0- 103609446	Seronegative Arthritis Type II DM; HTN	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			6,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,50,000/- (छः लाख पचास हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० - 10874584010, खाता धारक का नाम- निदेशक, अ० भा० आ० सं०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी, राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2355(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 1967.74 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
डा0 बी0एल0 कपूर मेमोरियल
सुपर स्पेशलीटी अस्पताल, पुसा रोड
नई दिल्ली-110005

पटना दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अरमान अली पति- खलील अली ग्राम- छनछपरा वार्ड 01 पो0+थाना- ब्रह्मपुर जिला- बक्सर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196774 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 013694600003200 खाता धारक का नाम- Dr.B L Kapur Memorial Hospital a Unit of Lahore Hospital Society खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-YES Bank Ltd, शाखा का नाम- 56 Janpath, ALPS Building Connaught Place New Delhi RTGS/IFSC कोड सं0-YESB 0000136 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2356(14)

पटना, दिनांक 21/8/25

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196977 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Metro Hospital & Cancer Institute,
21, Community Centre, Preet Vihar,
Delhi- 110092.

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रिस कुमार पिता- राजकुमार साह ग्राम- कुरहा पो0+थाना- साहेबपुर कमाल जिला- बेगूसराय	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196774 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 06518480000046, खाता धारक का नाम- Metro Hospital & Cancer Institute, खाते का प्रकार- Current Account, बैंक का नाम- HDFC Bank, शाखा का नाम- . RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0001223 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा



करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2357(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196977 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/ एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
मेदान्ता द मेडिसिटी,
सेक्टर-38, गुरुग्राम, हरियाणा,
पिन-122001

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	पिकी शाही पति- कृष्ण कान्त शाही ग्राम- बडकी सिरिसिया पो०- शोभेपुर थाना- भेल्दी जिला- सारण	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,000/- (पचासी हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 196777 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-106905001433, खाता धारक का नाम- ग्लोबल हेल्थ प्रा० लि०, पेयबल- दिल्ली/गुडगांव, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-ICICI Bank, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड स० ICIC0001148 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही

बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है।
उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

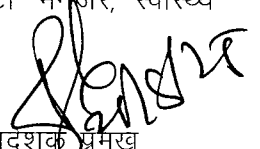
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2358(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196774 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक ...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सत्येन्द्र यादव पिता- हरदेव यादव ग्राम- अमवा पो०+थाना- भोरे जिला- गोपालगंज सीआर नं०- 2021710181	ESRD Access Failure	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	रविन्द्र कुमार पिता- सुरेन्द्र पंडित ग्राम- गोपालपुर पो०- महारथा थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं०- 2023996910	ERCP & PD Stenting	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	अजित कुमार पिता- क्षत्री सिंह ग्राम- हरदासचक पो०- कोशी कॉलेज थाना- मुफ्फसिल जिला- खगड़िया सीआर नं०- 2024478590	associated arthritis	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	कुन्ती देवी पति- पेन्टर पटेल ग्राम- बलुआ थरघटी पो०- बलुआ थाना- पहाड़पुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं०- 20241185676	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	प्रियाशु कुमार पिता- धंजी प्रसाद ग्राम- लाल बिहारी सिंह के टोला पो0- बौलीपुर थाना- जगदीशपुर जिला- भोजपुर सीआर न0- 2022657676	GB Penfonetics	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	फैसल इमाम पिता- हसन अख्तर ग्राम- नई अजीमाबाद कॉलोनी पो0- महेन्द्रू थाना- सुल्तानगज जिला- पटना सीआर न0- 2015773868	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	रामाकात कुमार पिता- परसुराम साह ग्राम- कठैया गोरा सेमरा वार्ड 15 पो0- कठैया थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 2007049864	HPVO Portal Bilocartaj	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
8	अजित कुमार पिता- जवाहर सिंह ग्राम- सुकहरा पो0- धवनि थाना- काराकाट जिला- रोहतास सीआर न0- 2020447528	ESRD Access Failure	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
9	बिष्णुदेव पिता- बासगीत राय ग्राम+पो0- गुण्डी थाना- कृष्णागढ जिला- भोजपुर सीआर न0- 2021390997	Crohn's Disease	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
10	प्रियाशु कुमार पिता- नितेश कुमार ग्राम- गोडीगाव वार्ड 12 पो0- माली थाना- सुगौली जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 2025658383	ब्रेन ट्यूमर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
11	सविता पाठक पति- प्रभात कुमार पाठक ग्राम- मेहता कॉलोनी मालीघाट पो0- रमना थाना- नगर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2025638666	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

12	अजीत कुमार पिता- नदकिशोर यादव ग्राम- भठहीया पो0- पतिलार थाना- चौतरवा जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2022694333	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	हरेद्र कुमार दुबे पिता- स्व0 धरीछन दुबे ग्राम- टोला सिपाया पो0- सिपाया थाना- विश्वम्भरपुर जिला- गोपालगंज सीआर न0- 2022961758	हृदय रोग सीएबीजी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
14	विकाश कुमार पिता- इन्द्रदेव सिंह ग्राम- कुशवाहा काम्प्लेक्स बडा तेलपा पो0- छपरा थाना- नगर जिला- सारण सीआर न0- 2014693087	Budd Chair Syndrome	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
15	प्रकाश कुमार पिता- विजय पटेल ग्राम- करमवा वार्ड 03 पो0+थाना- सुगौली जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 20241244714	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	सगीता कुमारी पति- सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम- कोरबद्ध पतौली पो0+थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 2024582723	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	अकित कुमार पिता- जलेश्वर सिंह ग्राम- तकिया पो0- तकिया बाजार समिति थाना- सासाराम जिला- रोहतास सीआर न0- 2024219668	ICA Anarysm	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	देवता नन्द कुमार साहनी पिता- वकील साहनी ग्राम+पो0- सलेहपुर थाना- विश्वम्भरपुर जिला- गोपालगंज सीआर न0- 2025648693	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

19	अरबाज अली पिता- सहादम अली ग्राम- बक्सर रोड इस्लामपुर वार्ड 04 पो0+थाना- कोचस जिला- रोहतास सीआर न0- 2021271465	ए प्लास्टिक एनिमिया	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
20	मनीष कुमार पिता- महावीर केवट ग्राम+पो0- राणा विगहा थाना- दीपनगर जिला- नालदा सीआर नं0- 2017558338	ए प्लास्टिक एनिमिया	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
21	सबीला खातून पति- बसीर आलम ग्राम- बनकटवा पो0- यादो छापर थाना- कुमारबाग जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2025568355	हृदय रोग एमवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
22	अनिल कुमार पिता- रामजी राय ग्राम- लखनीपुर पो0- मौदह थाना- पातेपुर जिला- वैशाली सीआर नं0- 2021640463	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	लीलावती देवी पति- शम्भू साह ग्राम+पो0+थाना- नौतन जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2025634476	Peciampullkry Tumour	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			23,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 23,75,000/- (तेईस लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक

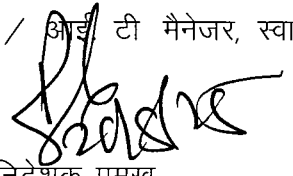
2359(14)

पटना, दिनांक

21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक, /अधीक्षक
डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान
संस्थान, गोमती नगर
लखनऊ -226010

पटना, दिनांक-

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दिनेश चौधरी पिता- लक्ष्मी चौधरी ग्राम- त्रिलोकपुर पो०- जामसर थाना- उचकागांव जिला- गोपालगज	BMG - U	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	अविनाश कुमार गुप्ता पिता- उदय चंद साह ग्राम- सुदामाचक पो०- मटियारी थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगज	ट्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			1,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196971 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-6193000100005944, खाता धारक का नाम-MS DR.RMLIMS HOSPITAL ADMINISTRATION खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम-विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ RTGS/IFSC कोड सं०-PUNB0619300 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सब मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2360(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196774 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-1/ 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट,
किंग जार्ज, मेडिकल यूनिवर्सिटी,
गांधी मेमोरियल एंड एसोसियेट अस्पताल
लखनऊ, उ0 प्र0- 226003

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शादान राजा पिता- मो० निजामुद्दीन ग्राम+पो०+थाना- जामो बाजार जिला- सिवान	कैंसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196977 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-20229846024 खाता धारक का नाम-CHIEF MEDICAL SUPERITENDENT (P.M& C.M) खाता” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-K.G.M.C LUCKNOW, RTGS/IFSC कोड स० IDIB000K656 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में

किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2361(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	सतेद्र रजक पिता- हरिकिशुन रजक ग्राम- अपकी पो0- कासमा थाना- कासमा जिला- औरंगाबाद एमआरडी न0- 7563119	PCI + STO LAD	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अरविन्द कुमार पिता- कन्हैया प्रसाद ग्राम+पो0- मोहछि नैन थाना- गोपालपुर जिला- पश्चिम चम्पारण एमआरडी न0- 7642343	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	जनार्दन यादव पिता- मगरूर सिंह ग्राम- चौखडा चितौली पो0- समरडीहन थाना- सासाराम जिला- रोहतास एमआरडी न0- 7630795	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	लालती देवी पति- प्रेम चन्द्र सिंह ग्राम+पो0- बनकटा जागीदारी थाना- भोरे जिला- गोपालगंज एमआरडी नं0- 5642481	IBD CD	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	रवि कुमार पिता- कोमल साह ग्राम+पो0- सिसिरता थाना- नोखा जिला- रोहतास एमआरडी न0- 7399857	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	मृतुन्जय कुमार पिता- नन्द लाल राम ग्राम+पो0- जैतपुर वार्ड 05 थाना- हसपुरा जिला- औरंगाबाद एमआरडी न0- 7161029	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	पंकज कुमार पिता- सुदर्शन कुमार दीक्षित ग्राम- कण्डी पो0- बिथा शरीफ जिला- गयाजी एमआरडी न0- 7404178	Maltipal Pituipory Hormone Deficiency	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
8	इन्दु दास पिता- प्रसिद्ध दास ग्राम- बुन्दावन वार्ड 02 पो0- साव कला थाना- आमस जिला- गयाजी एमआरडी न0- 7119669	फेफडे मे सक्रमण रोग	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
9	धर्मेन्द्र सिंह पिता- बैरिष्टर सिंह ग्राम- सिधनपुरा पो0- आलमपुर थाना- शिवसागर जिला- रोहतास एमआरडी नं0- 7681047	Double Chamber ICD	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
10	कमला देवी पति- गणेश मिस्त्री ग्राम- पलकिया वार्ड 21 पो0+थाना- शेरघाटी जिला- गयाजी एमआरडी न0-6767085	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	रौशन कुमार पिता- अनिल यादव ग्राम- बाराडीह पो0+थाना- तिलौथू जिला- रोहतास एमआरडी न0- 7605938	Nephrology CKD	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
12	प्रिन्स कुमार पिता- दीपक कुमार ग्राम- कामेश्वर नगर पो0- गुरारू थाना- कोच जिला- गयाजी एमआरडी न0- 7103462	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

13	ज्योति कुमारी पिता- सजय शर्मा ग्राम- करमैनी वार्ड 07 पो0- बडहरी थाना- करगहर जिला- रोहतास एमआरडी न0- 7528769	Diabetes Mellitis	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
14	मधु देवी पति- महेद्र राय ग्राम- पिपरा वार्ड 07 पो0- पिपरा थाना- करगहर जिला- रोहतास एमआरडी न0- 7534099	Hernipanesis Sudden Onset	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
15	प्रीतक कुमार पिता- बृजमोहन पासवान ग्राम+पो0- नारायणपुर थाना- पीरो जिला- भोजपुर एमआरडी न0- 7650586	Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			₹ 13,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,80,000/- (तेरह लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 27790100039150 खाता धारक का नाम- **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **Bank of Baroda**, शाखा का नाम- **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा **AIIMS** के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,
शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से
विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / —

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2363 (14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि
सलग्न चेक सं० 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर
दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य
विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक
एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०
डी०एल० डबलु हाईडिल रोड,
वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक 21/8/2025

विषय:— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामजोति देवी पति— स्व० नन्दू चौधरी ग्राम+पो०— हरनाही थाना— बरुराज जिला— मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	भोला कुमार बिद पिता— रामबृक्ष बिद ग्राम— खोराडीह पो०+थाना— चैनपुर जिला— कैमूर भभुआ	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	गिरजा चौधरी पिता— स्व० बेयासी चौधरी ग्राम+पो०+थाना— कोचस जिला— रोहतास	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	सिमा देवी पिता— जगतनारायण सिंह ग्राम— पिपरिया पो०— किलनी थाना— चाद जिला— कैमूर भभुआ	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	छोटी कुमारी पति— चन्दन सिंह ग्राम— माधोपुर पो०— भलुनीधाम थाना— नटवार जिला— रोहतास	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,80,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,80,000 /— (तीन लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०—

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176974... द्वारा अंतरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-**36180579026**, खाता धारक का नाम- **APEX WELCARE PVT, LTD** खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया**, शाखा का नाम- **SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI** RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN0009252 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2364(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल
घंटी मिल रोड, लहरतारा,
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	देव बश सिंह पिता- राम सुभग चौधरी ग्राम+पो0- बडकी खरारी थाना- करगहर जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2025/011068	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अशिका कुमारी पिता- चितरजन याव ग्राम- बतरौलिया पो0- बाजितपुर थाना- पारु जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0-19एफ2025/001604	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	शोभा कुमारी पति- तुलसी पासवान ग्राम- कोटवा पो0- मगुरहा थाना- पहाडपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0-16एफ2024/001564	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	औनील कुमार गुप्ता पिता- स्व० गोपाल प्रसाद गुप्ता ग्राम- राज लक्ष्मी गोपालगंज रोड मानपुर पो0+थाना- बुनियादगंज जिला- गयाजी केस फाईल न0-18एफ2024/021493	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	सुमन देवी पति- मुकेश उपाध्याय ग्राम- घुसियार पो0- दरियापुर थाना- सग्रामपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0-18एफ2025 / 009266	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	ओमप्रकाश कुमार पिता- राजेश्वर सिंह ग्राम+पो0- मोकर थाना- अगरेर जिला- रोहतास केस फाईल न0- केसी / 58958	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	अभिषेक कुमार पिता- आनंद कुमार ग्राम+पो0+थाना- डोभी जिला- गयाजी केस फाईल न0-18एफ2024 / 017700	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
8	जहाँ आरा पति- अब्दुल रहमान ग्राम+पो0- खैरा थाना- शाहकुण्ड जिला- भागलपुर केस फाईल न0-19एफ2025 / 001146	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	मारुफ आलम पिता- आस मोहम्मद ग्राम+पो0- सिसवा थाना- बजरिया जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0-18एफ2025 / 010922	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	मास्टर आयुष कुमार पिता- छोटेलाल साह ग्राम+पो0- डब्छु थाना- बसतपुर जिला- सिवान केस फाईल नं0-16एफ2025 / 001483	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	दुर्गेश कुमार मिश्रा पिता- रविंदर मिश्रा ग्राम- मथौली पो0- जगदीशपुर थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगंज केस फाईल न0-18एफ2024 / 020206	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	अलका सिंह पति- हरिकांत सिंह ग्राम- सलेमपुर पो0- जारु बनवरिया थाना- हुलासगंज जिला- जहानाबाद केस फाईल न0- सीआर / 32818	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

13	मास्टर दिलखुश कुमार पिता- पप्पू महतो ग्राम- धनखरैया रजीता पो0+थाना- हरसिद्धि जिला- पूर्वी चम्पारण केसफाईल न0- 19एफ2025 / 003369	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	विनोद महतो पिता- रामप्रीत महतो ग्राम- भगडवा पो0- रतनमाला थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0-18एफ2023 / 011982	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सरस्वती देवी पति- रामानन्द सिंह ग्राम+पो0+थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- केई / 15856	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	अनुज यादव पिता- रामाशीष सिंह ग्राम- अलीपुर पो0- सिरहीरा थाना- चाद जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-16एफ2025 / 001461	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	कशिश प्रिया पिता- ओम प्रकाश प्रसाद ग्राम+पो0- उत्तरेन थाना- कोच जिला- गयाजी केस फाईल न0-18एफ2025 / 012465	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	राजेश्वर प्रसाद पिता- बलदेव प्रसाद ग्राम- हिलसा पो0- कालीचक थाना- हिलसा जिला- नालदा केस फाईल न0-18एफ2025 / 012895	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	रिक् देवी पति- जीतेन्द्र साह ग्राम- चनना पो0- सेदुआरी थाना- मढौरा जिला- सारण केस फाईल न0-18एफ2025 / 009508	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

20	अभिषेक कुमार पिता- समीश कुमार सिंह ग्राम+पो0- भिट्टी थाना- मोहनियाँ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-16एफ2025/001422	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
21	प्रभा मिश्रा पति- विद्या भूषण मिश्रा ग्राम+पो0- सोनबरसा थाना- औद्योगिक जिला- बक्सर केस फाईल न0-18एफ2023/017079	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	अनिता सिंह पति- ललित विजय सिंह ग्राम- रजवरवा बिगहा पो0+थाना- डालमियानगर जिला- रोहतास केस फाईल नं0-18एफ2024/017386	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
23	आरती देवी पति- संतोष कुमार चौबे ग्राम- एकौनी वार्ड 12 पो0- एकौनी थाना- डुमराव जिला- बक्सर केस फाईल न0-18एफ2025/007277	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	रामनाथ सहनी पिता- लक्ष्मण सहनी ग्राम- रामपुर बिरत वार्ड 13 पो0+थाना- माधवापुर जिला- मधुबनी केस फाईल न0-11एफ2025/019014	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
25	मो0 इमरान बाबू जान पिता- जुमराती मिया ग्राम- बसत टोला पो0- बेतिया थाना- नगर जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0-16एफ2025/001441	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
26	अफसरी खातुन पिता- गुलाम यजदानी ग्राम- बिथवा पो0- बभनौल थाना- दावत जिला- रोहतास केस फाईल न0- 18एफ2025/0010570	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

27	राखी देवी पति- उदय प्रसाद ग्राम- मढौरा खुर्द पो0+थाना- मढौरा जिला- सारण केस फाईल न0-18एफ2023 / 003898	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
28	राम हकर तिवारी पिता- स्व0 रामायण तिवारी ग्राम- पलौधा पो0+थाना- चेनारी जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2024 / 016343	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
29	शशि शेखर पिता- उदय शकर राय ग्राम+पो0- खरना थाना- चादन जिला- बाका केस फाईल न0-16एफ2025 / 001386	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	सत्याशु कुमार ओझा पिता- स्व0 विजय शकर ओझा ग्राम+पो0- हुस्सेपुर थाना- एकमा जिला- सारण केस फाईल न0-16एफ2025 / 001449	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
31	रूपेश कुमार पिता- राजेश कुमार गुप्ता ग्राम+पो0- हुसेना खुर्द थाना- गोरौल जिला- वैशाली केस फाईल न0-19एफ2023 / 000657	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	गोलू कुमार पिता- स्व0 भोला प्रसाद ग्राम- दुजरा चक बुद्धा कॉलोनी पो0- जी0पी0ओ0 थाना- बुद्धा कॉलोनी जिला- पटना केस फाईल न0-11एफ2025 / 015151	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
33	विवेक कुमार पिता- पवन सरदार ग्राम+पो0- ग्वालपाडा थाना- छातापुर जिला- सुपौल केस फाईल न0-16एफ2024 / 001167	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
34	लाल बिहारी लाल दास पिता- स्व0 राज नारायण दास ग्राम- बिरला कॉलोनी फुलवारी पो0- फुलवारीशरीफ थाना- फुलवारी जिला- पटना केस फाईल न0- सीएस / 12847	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

35	प्रहलाद राम पिता- भोला राम ग्राम- चान्दवारी पो0- सिमुलताला थाना- चादन जिला- बाका केस फाईल न0-16एफ2025 / 000836	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
36	प्रमोद सहनी पिता- नागेन्द्र सहनी ग्राम- थरघड़ाअवा पो0- लक्ष्मीपुर थाना- मुफरिसल जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0-18एफ2025 / 003963	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
37	सुनीता देवी पति- पसूराम यादव ग्राम- अछवा पो0- चिलिम थाना- डोभी जिला- गयाजी केस फाईल न0-18एफ2025 / 011155	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
			37,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 37,40,000/- (सैतीस लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 1967.74 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 3675632747 खाता धारक का नाम- होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड स0 CBIN 0285166 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2365(14)

पटना, दिनांक— 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
Care Hospital Care Treatment Centre (P) Ltd.,
Bhikharipur, B.L.W., Sunderpur Road,
Varanasi - 221004

पटना, दिनांक...

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	रोहित कुमार पिता- नदू सिंह ग्राम+पो0- धौदांड थाना- सासाराम मु0 जिला- रोहतास	Ventricular with External	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 126974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०- 21040638381, खाता धारक का नाम- Care Treatment Center Pvt Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- INDIAN BANK, शाखा का नाम- Bhikharipur, Varanasi, RTGS/IFSC कोड स० IDIB000B874 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2366(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
उपकार अस्पताल,
सुपर स्पेसिलिटी सेन्टर,
एन 8/91सी बी0 एल0 डब्ल्यू बीएचयू रोड,
नेवाडा, सुन्दरपुर,
वाराणासी- 221005

पटना, दिनांक. ...

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	विना कुमारी पति- अवनीश कुमार ग्राम- शास्त्री नगर नोनियार टोली पो0- बेतिया थाना- कालीबाग जिला- पश्चिम चम्पारण	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 50200053425596 खाता धारक का नाम- **UPKAR FOUNDATION**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **HDFC Bank**, शाखा का नाम- **LANKA VARANASI**, RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0001465 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2367(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

महामना पंडित मदनमोहन मालवीय कैंसर सेंटर,
सुन्दर बगिया, बी० एव० यू० परिसर,
वाराणसी- 221005 (उत्तर प्रदेश)

पटना, दिनांक...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पूनम देवी पति- राजेश रजन ग्राम- सरस्वती सदन राजेद्र नगर रोड न० 6सी पो०- राजेद्र नगर थाना- कदमकुआ जिला- पटना केस फाईल न०- 18एफ2023/019545	कैंसर रोग	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 19697.7. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 3740115281, खाता धारक का नाम- Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya Cancer Centre, Varanasi, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड स० CBIN 0285166 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से



वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2368(14)

पटना, दिनांक— 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई की मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
AGRIM HOSPITAL,
Plot No.-21, Ravindrapuri Extension,
Lanka Road, Varanasi

पटना, दिनांक..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जय प्रकाश राम पिता- स्व० लोरिक राम ग्राम+पो०- तिलई थाना- सन्झौली जिला- रोहतास	वृहत् ब्रेन सर्जरी	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत।
			2,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196974 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-690620110000492, खाता धारक का नाम- Agrim Hospital Pvt. Ltd, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- BANK OF INDIA, शाखा का नाम- Ravindrapuri, Varanasi, RTGS/IFSC कोड स० BKID0006906 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय ।

- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2369 (14)

पटना, दिनांक— 24/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/ एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक ..

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	भारती कुमारी पति- राजेश कुमार साह ग्राम- सकरैली पो०+थाना- सेमापुर जिला- कटिहार केस फाईल न०- 11एफ2023/034288	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	सूर्य प्रकाश पिता- उदय कुमार ग्राम- नदू टोला गौधी स्कूल रोड पो०+थाना- खगौल जिला- पटना केस फाईल न०- 11एफ2025/016022	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	रिचा कुमारी पिता- श्रीराम सिंह ग्राम- बेला मनुपुर पो०- बेला थाना- डेरनी जिला- सारण केस फाईल न०- सीयू/07253	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	राकेश कुमार मल्होत्रा पिता- त्रिलोक नाथ मल्होत्रा ग्राम- मालीघाट कंचननगर पो०- रमना थाना- मिठनपुरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 11एफ2023/031012	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	वर्षा सिंह पिता- जय शंकर सिंह ग्राम- नरौली पो०- करौता थाना- सालीमपुर जिला- पटना केस फाईल न०- 11एफ2024/020676	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	मो० सरफराज नईम पिता— मो० नईम उद्दीन ग्राम— हुसैनाबाद पन्ना मिल रोड वार्ड 44 पो०— मिरजानहाट थाना— बबरबज जिला— भागलपुर केस फाईल न०— 11 एफ 2024 / 023248	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
			5,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,50,000/- (पाँच लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान / अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196974.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1002449683 खाता धारक का नाम— टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— टी०एम०एच०, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2370 (14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड
पी० बी० न०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रूपम राय पति- सजय कुमार ग्राम- पॉती पो०- राजहाट थाना- अकबरपुर जिला- नवादा सीएमसी न०- एआई 64916	स्पाइनल सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	जयस पिता- सत्य पाल कुमार शर्मा ग्राम- छाई रोड मालगोदाम नवादा पो०- नवादा थाना+जिला- नवादा सीएमसी न०- 179155 पी	ENT Surgery	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,50,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 196977द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम- भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त'बिहार लोक माग वसुली अधिनियम' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2371(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
नारायणा सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,
120 / 1, अंदुल रोड़,
हावड़ा-711103

पटना, दिनांक.....

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	निजहत प्रवीन पति- मो० मोजाहीर ग्राम-पो०- सुमेरा थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 60,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~196974~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-921030004381537, खाता धारक का नाम- मेरिडीयन मेडिकल रिसर्च, हौस्पीटल लि०, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-AXIS BANK LTD, शाखा का नाम-सी०बी०बी० बगलौर ब्रांच, हावड़ा वेस्ट बंगाल, RTGS/IFSC कोड सं० UTIB 0001541 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2372(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196774 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीमेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एंड रिसर्च, चंडीगढ़- 160012

पटना, दिनांक

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पवन कुमार महतो पिता- राम बिलाश महतो ग्राम- कमला रोड जयनगर पो0+थाना- जयनगर जिला- मधुबनी सीआर न0- 202503065080	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			2,75,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,75,000/- (दो लाख पचहत्तर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स0- 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196971 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर, पी0जी0आई0 प्राइवेट ग्रान्ट ए0/सी0 " खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड स0 01524 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार

निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हों तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2373 (14)

पटना, दिनांक 21/8/2023-

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196771 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल,
नीयर सिविल अस्पताल फेज-VI
मोहाली-160055, पंजाब।

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2024 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	बिपिन कुमार सिंह पिता- तेजनारायण सिंह ग्राम- विशुनपुरतारा वार्ड 02 पो०- गुलवारा मधुबन थाना- मधुबन जिला- पूर्वी चम्पारण	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 3,00,000 /	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000 /-(तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196974.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-200000714985, खाता धारक का नाम- **HOMETRAIL BUILDTECH PRIVATE LTD.** खाते का प्रकार-ESCROW ACCOUNT, बैंक का नाम-**INDUSIND BANK** शाखा का नाम- **BARAKHAMBHA (005) Dr. Gopal Das Bhawan New Delhi -110001** RTGS/IFSC कोड स० **INDB 0000005** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन

एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

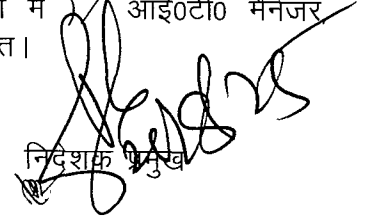
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2374(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 196774 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई०टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
Ivy अस्पताल,
हेल्थ लाईफ साईंस, सोहना
सेक्टर-71 मोहाली
पीन कोड-160071

पटना, दिनांक. . . .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रजीत झा पिता- योगेन्द्र झा ग्राम+पो०- भद्रेश्वर थाना- बथनाहा जिला- अररिया	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 3,00,000 / -	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~126274~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 011081400000091 खाता धारक का नाम- IVY HEALTH AND LIFE SCIENCES (P) LTD, खाते का प्रकार- CC ACCOUNT, बैंक का नाम-YES बैंक लि०, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं०- YESB0000110 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2375 (14)

पटना, दिनांक—21/8/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0 14/एम 11-01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
बी०एम० बीडला,हार्ट रिसर्च, सेटर
1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु
कोलकत्ता-700027

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **13.08.2025** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० रेयाज अहमद पिता- अब्दुल हलीम ग्राम+पो०- अदसर थाना- जमुई जिला- जमुई	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	बरकत अली पिता- राहत हुसैन ग्राम- नवादा पो०- तिलकपुर थाना- सुल्तानगज जिला- भागलपुर	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			2,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,35,000/- (दो लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ~~196974~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- **232102000000002**, खाता धारक का नाम- बी०एम० बीडला हार्ट रिसर्च सेटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-7/2 डायमंड हरबर रोड कोलकत्ता-700027 ब्रांच, RTGS/IFSC कोड सं० IOBA0002321 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार

अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2376(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196974 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एच० सी० जी० इको कैंसर सेंटर
प्लॉट-डीजी 4 परमीस -3-358
नीयर डीपी०एस० न्यु टाउन
कोलकता 700156

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गुलाम मोहम्मद पिता- मोहम्मद सिद्दिकी ग्राम- नीलम सिनेमा पाली टकी रोड पो०- मुगेर थाना- कोतवाली जिला- मुगेर	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196977 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 002281400004001, खाता धारक का नाम- HCG EKO ONCOLOGY LLP, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम- यश बैंक लि०, शाखा का नाम- कस्तुरबा रोड बगलौर, RTGS/IFSC कोड सं० YESB0000022 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2377(14)

पटना, दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०.....196977 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अपर महानिदेशक,

बी०आर०डी० मेडिकल कॉलेज

गोरखपुर - 273013

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.08.2025 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विवेक कुमार पिता- लालबाबू साह ग्राम- बगही बघम्बरपुर पो०- पटजिरवा थाना- श्रीनगर जिला- पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000 /- (एक लाख) रुपये का क्रास चेक स० 176972 मूल रूप में सलग्न है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक भाग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424. IFSC Code- SBIN0006379. शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छ. माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 21/8/2025

ज्ञापक 2362(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख